

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

रामबिलास पासवान,
निदेशक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा/सभी जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्य पुरी, दिल्ली।

पटना, दिनांक-17.08.15

विषय :- वर्ष 2015 की प्रथम राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन दिनांक-20.09.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

2. राजपत्रित तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन सचिवालय तथा सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में और अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का आयोजन सचिवालय एवं सम्बद्ध प्रमण्डलों तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहाँ जिला मुख्यालयों में किया जाएगा।

3. सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. पटना, पूर्णियाँ, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमण्डलों में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा।

जिन जिलों में प्रमण्डलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है, वहाँ अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का संचालन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथास्थिति सचिवालय अथवा सम्बद्ध प्रमण्डलीय/जिला मुख्यालयों में दिनांक-10.09.2015 तक आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश-पत्र पर अपने हाल का पासपोर्ट साइज का एक-एक फोटो, जो सम्बद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित हो, निश्चित रूप से चिपकाएँगे।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 10.09.2015 के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का आवेदन पत्र सम्बद्ध विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को बेली रोड, पटना स्थित ऑफिसर्स होस्टल, ब्लॉक सी0 के पते पर दिनांक-10.09.2015 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

8. सम्बद्ध जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह- प्रभारी उपनिदेशक, राजभाषा द्वारा सभी आवेदन पत्रों की भली-भाँति जाँच-पड़ताल के बाद ही प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाएगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत आदेश-निदेश के आलोक में वैसे सरकारी सेवक, जिन्हें उक्त परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

10. प्रमण्डलीय एवं जिला मुख्यालयों से प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से दिनांक-14.09.2015 तक फ़ैक्स सं0-0612-2520128 पर अवश्य कर ली जाय।

11. सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासं सूचित संख्या में सादी उत्तरपुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक-17.09.2015 एवं 18.09.2015 को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो, मंत्रिमण्डल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बेली रोड, पटना स्थित ऑफिसर्स होस्टल, ब्लॉक सी0 के पते पर भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तरपुस्तिकाएँ रखी जाएगी।

12. पत्र संख्या-59/रा0, दिनांक-18.01.1999 के अधीन परीक्षा/परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

13. उपर्युक्त कार्यक्रम की सूचना कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को शीघ्र संसूचित करने की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन



(रामबिलास पासवान)

निदेशक-सह-अपर सचिव

५५

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा/हिन्दी पढ़ने-लिखने की योग्यता परीक्षा

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम
3. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित
4. विभाग/कार्यालय का नाम
5. शैक्षिक योग्यता जिला..... प्रमंडल.....
6. क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं?.....
7. यदि हाँ, तो क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं?.....
8. आवेदन करने की तिथि
9. अग्रसारण पदाधिकारी का तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर

कार्यालय प्रधान द्वारा
अभिप्रमाणित पासपोर्ट
साइज का फोटो यहां
चिपकाए।

आवेदक का हस्ताक्षर

10. आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना
11. अभिप्रमाणित करनेवाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रवेश-पत्र
(आवेदक स्वयं भरे)

12. आवेदक का नाम
13. पदनाम
14. विभाग/कार्यालय का नाम
15. आवेदक का हस्ताक्षर
16. फोटो अभिप्रमाणित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं मुहर

कार्यालय प्रधान द्वारा
अभिप्रमाणित पासपोर्ट
साइज का फोटो यहां
चिपकाए।

परीक्षा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

1. परीक्षा की तिथि
2. परीक्षा का समय
3. परीक्षा केन्द्र का नाम क्रमांक.....

जिलाधिकारी/निदेशक, राजभाषा
प्रमंडलीय उप-निदेशक, राजभाषा

- नोट-** (1) कंडिका 6 को सत्यता की जांच कर ही अग्रसारण पदाधिकारी आवेदन-पत्र अग्रसारित करें।
(2) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
विज्ञापन

हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा से सम्बद्ध सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं।

दिनांक-07.12.2014 को सम्पन्न राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के परीक्षाफल सभी सम्बद्ध प्रमंडलों एवं जिलों में भेज दिए गए हैं। उक्त परीक्षाफल विभागीय वेबसाईट www.csd.bih.nic.in पर उपलब्ध है जिससे डाउनलोड किया जा सकता है।

2- अगली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन दिनांक-20.09.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।

3- राजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का परीक्षा केन्द्र सचिवालय तथा सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में रहेंगे। अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का परीक्षा केन्द्र प्रमंडलों में तथा जिन जिलों में प्रमण्डलीय मुख्यालय नहीं है, वहाँ जिला मुख्यालयों में रहेंगे।

4- सचिवालय से संलग्न कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उक्त परीक्षाओं का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा किया जाएगा।

5- पटना, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमंडलों में राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा द्वारा किया जाएगा। जिन जिलों में प्रमंडलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है, वहाँ अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6- परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी यथास्थिति सचिवालय अथवा संबद्ध प्रमंडलीय/जिला मुख्यालयों में दिनांक 10.09.2015 तक आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) प्रस्तुत करेंगे। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश-पत्र पर अपने हाल का पासपोर्ट साइज का एक-एक फोटो, जो संबद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अनुप्रमाणित हो, निश्चित रूप से चिपकाएँगे।


7- आवेदन-पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 10.09.2015 के पश्चात् किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

8- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी का आवेदन पत्र सम्बद्ध विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 10.09.2015 तक अवश्य ही प्राप्त हो जाना चाहिए।

9- प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालयों से प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाओं की मांग अंतिम रूप से दिनांक 14.09.2015 तक फैक्स सं०-0612-2520128 पर अवश्य कर ली जाय।

10- सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/आयुक्त के सचिव-सह-प्रभारी उप निदेशक, राजभाषा यथासंसूचित संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाएँ एवं मुहरबंद पैकेट में प्रश्नपत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.09.2015 एवं 18.09.2015 को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय के एक ऐसे विश्वस्त कर्मचारी को प्राधिकार पत्र के साथ, जिसमें उनका हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो, मंत्रिमण्डल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बेली रोड, पटना स्थित ऑफिसर्स होस्टल, ब्लॉक सी० के पते पर भेजेंगे। प्राधिकृत व्यक्ति अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर प्रथम उपलब्ध सवारी से वापस जाकर सक्षम पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे, जिनकी अभिरक्षा में प्रश्नपत्र एवं सादी उत्तर पुस्तिकाएँ रखी जाएगी।

11- परीक्षार्थी, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर नाम, पदनाम एवं अपना अनुक्रमांक (रौल न०) का उल्लेख देवनागरी लिपि में ही करें अन्यथा उनका परीक्षाफल रोक दिया जाएगा।



(रामबिलास पासवान)

निदेशक-सह-अपर सचिव

५५